

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-18/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020 / 00034

उनवान -सरकार बनाम महेशचन्द शर्मा पुत्र श्री भगवानसिंह शर्मा नि0कृष्णा कोलोनी रेल्वे
स्टेशन बाडी जिला धौलपुर (महेश डेयरी तुलसीवन रोड बाडी)
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -27.08.2020

आज यह पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तत्कालीन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर हाल अजमेर ने अप्रार्थी श्री महेशचन्द शर्मा पुत्र श्री भगवानसिंह शर्मा नि0कृष्णा कोलोनी रेल्वे स्टेशन बाडी जिला धौलपुर (महेश डेयरी तुलसीवन रोड बाडी) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.08.2019 को अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण करने के दौरान डेयरी में रखे ड्रमों में करीब 400 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के बिक्रय करने हेतु रखा था तथा अप्रार्थी के पास खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। इस मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर 2 लीटर दूध वास्ते नमूना जांच अप्रार्थी से खरीदा गया। उक्त 2 लीटर मिश्रित दूध नमूना डी-1642 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2019 के अनुसार उक्त मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनर्वृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध का विक्रय करके खाद्य संस्का एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड मिश्रित दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री महेशचन्द शर्मा पुत्र श्री भगवानसिंह शर्मा नि0कृष्णा कोलोनी रेल्वे स्टेशन बाडी जिला धौलपुर (महेश डेयरी तुलसीवन रोड बाडी) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 30,000/-रुपये (तीस हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(निर्णय के. वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)